

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक पं. 7(88) शिक्षा-2/2018/जयपुर दिनांक 12.02.19 एवं ज्ञापन एफ-1(2) एफडी (रूल्स) 06 पार्ट-1 जयपुर दिनांक 11 जून 2014 की अनुपालना में नीचे वर्णित प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में कार्यरत परीक्षाकाल की अवधि में निम्नांकित अवधि में उपभोग किए गए अवकाशों का असाधारण अवैतनिक अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है—

क्र. सं०	नाम व पदस्थापन स्थान (राउमावि/राबाउमावि)	विषय	लिये गये अवकाश की अवधि	दिनों की संख्या	अवकाश का प्रकार
01	रणु चौहान, राबाउमावि रामगंज षण्डी, अजमेर	गृह विज्ञान	03.08.17 से 14.08.17 एवं 05.03.18 से 15.03.18 चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर	23	अवैतनिक अवकाश



(नथमल डिंडेल)

आई.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-4/रजीगृ/अवकाश/2018-19
प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. संयुक्त निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा,.....
2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक,.....
3. प्रधानाचार्य राउमावि.....
4. संबंधित कार्मिक.....
5. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा।
6. रक्षित पत्रावली

दिनांक 28-8-2019



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान


बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

--: कार्यालय-आदेश :-

इस कार्यालय के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से चयनोपरान्त प्राध्यापक वेतन पे मैट्रिक्स लेवल-12 के पद पर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-15(1) एफ.डी./नियम/2017 दिनांक 09.12.17 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के प्रावधानान्तर्गत 02 वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत स्थिर मानदेय पर/विद्यमान में नियुक्त किये गये निम्नांकित प्राध्यापकों को कार्यग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की अवधि संतोषप्रद रूप में पूर्ण किये जाने पर राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 24 एवं राजस्थान सिविल सेवाएं (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के नियम 05 (vi & vii) एवं अनुसूची 1 में अंकित प्रावधानानुसार उनके नाम के सामने कॉलम सं. 08 में अंकित दिनांक से नियमित वेतन श्रृंखला पे मैट्रिक्स लेवल-12 एवं देय नियमानुसार अन्य भत्ते आहरण करने की व नियमित करने की व नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है एवं साथ ही उक्त तिथि (कॉलम संख्या 08 में अंकित) से इनका प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) के पद पर स्थाईकरण किया जाता है।

क्रसं	वर्ग	मेरिट क्रमांक	प्राध्यापक नाम मय पदस्थापन स्थान (राउमावि/राबाउमावि)	विषय	जन्मतिथि	कार्यग्रहण तिथि	स्थाईकरण एवं नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	GE,WE, WD	M- 91	रेणु चौहान, राबाउमावि रामगंज मण्डी, अजमेर	गृह विज्ञान	13.12.72	30.06.17	30.06.19



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.


निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक:- 29-8-19

क्रमांक:-शिविर/माध्य/संस्था/सी-4 /प्रो.टे/गृह विज्ञान/स्थाईकरण/2015/2018-19
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, अजमेर
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल शिक्षा, अजमेर
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मा) मुख्यालय, अजमेर
4. संबंधित संस्था प्रधान राबाउमावि रामगंज मण्डी, अजमेर
5. संबंधित कार्मिक, रेणु चौहान, राबाउमावि रामगंज मण्डी, अजमेर
6. सिस्टम एनेलेसिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा
7. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर